भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 177</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाना है)

<u>कॉर्पोरेट कर</u>

177. श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री गौरव गोगोईः

एडवोकेट अदूर प्रकाशः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

श्री डीएनवी सैंथिल कुमार एस.:

डॉ. हिना विजय कुमार गावीतः

श्री हेमंत श्रीराम पाटीलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट कर दरों में 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की कमी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पहल के पीछे के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था/ राजस्व पर कार्पोरेट कर में कमी के प्रभाव का कोई आंकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 1.45 लाख करोड़ कॉर्पोरेट कर माफी से राजकोषीय घाटे के बढ़ने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में कॉर्पोरेट कर कटौती और मंद आर्थिक वृद्धि को उत्क्रमित करके राजकोषीय घाटे/राजस्व घाटे के मुद्दे के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान भारत में और अन्य देशों में वास्तविक संदर्भ में और जीडीपी के संदर्भ दोनों में एकत्रित कॉर्पोरेट कर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में कॉर्पोरेट कर पड़ोसी देशों से अभी भी ज्यादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार को कॉर्पोरेट कर को और कम कर करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

<u>वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)</u>

(क) जी हां, नए निवेश को आकर्षित करने, नौकरियों को सृजित करने और सकल आर्थिक विकास मे तेजी लाने के लिए 20.09.2019 को कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश) की घोषणा की गई और आयकर अधिनियम, 1961 (इस अधिनियम) और वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 (वित्त अधिनियम) में संशोधन किया गया, जिससे कि अन्य बातों के अलावा कॉरपोरेट कर में कमी की जा सके, जिससे कि वित्त अधिनियम की धारा 2 के साथ पठित इस अधिनियम में जोड़ी गई धारा 115खकक में यह प्रावधान है कि यदि कोई वर्तमान घरेलू कंपनी किसी प्रकार के प्रोत्साहन, कटौती का दावा नहीं करती है तो वह 22 प्रतिशत की दर से कर का साथ में ही 10 प्रतिशत की दर से अधिभार और 4 प्रतिशत की दर से उपकर का भुगतान कर सकती है। उन पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) भी लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, इस अधिनियम में धारा 115खकख को इसलिए शामिल किया गया है जिससे कि किसी भी सामान या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में अथवा उससे संबंधित अनुसंधान कार्य में या उसके संवितरण में लगी घरेलू कंपनी (जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर, 2019 या उसके बाद हुई हो), ऐसे सामानों या वस्तुओं का भी निर्माण 31 मार्च, 2023 तक प्रारंभ होता हो, के पास यह विकल्प होगा कि वे 15 प्रतिशत की दर से कर और साथ में 10 प्रतिशत की दर से अधिभार और 4 प्रतिशत की दर से उपकर का भुगतान कर सकती हैं, बशर्ते कि उन्होंने किसी प्रकार के प्रोत्साहन/ कटौती का दावा न किया हो। उन पर एमएटी भी लागू नहीं होगा।

इसके अलावा उन कंपनियों पर जोकि किसी प्रकार के प्रोत्साहन को प्राप्त कर रही हैं एमएटी के भार को कम करने के लिए इस अधिनियम की धारा 115ञख में भी संशोधन किया गया है जिससे कि एमएटी की 18.5 प्रतिशत की वर्तमान दर, जमा अधिभार और उपकर को कम करके 15 प्रतिशत, जमा अधिभार और उपकर, किया जा सके।

(ख) तथा (ग): उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप 1,45,000 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि होने की संभावना है। इस राजस्व हानि का अनुमान घरेलू कंपनियों के द्वारा घोषित आय और पिछले वर्ष उनके द्वारा किए गए कर के भुगतान के बारे में आयकर विभाग द्वारा रखे जाने वाले डाटा का प्रयोग करके और जीडीपी की संभावित वृद्धि दर के आधार पर लगाया गया है।

कॉर्पोरेट कर में कटौती करके जो प्रोत्साहन दिया गया है उससे हमारी अर्थव्यवस्था में बहुस्तरीय प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत में जो नया निवेश होगा उससे न केवल नई नौकरियां पैदा होंगी बल्कि इससे आय में वृद्धि होगी और इस प्रकार मध्यम से लेकर दीर्घ काल में कर के संग्रहण में भी बढोत्तरी हो सकेगी।

राजस्व के संग्रहण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करजाल को बढ़ाने और उसको गहन बनाने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) पिछले पांच वर्षों में भारत के कॉर्पोरेट कर के संग्रहण, सकल घरेलू उत्पाद को और कार्पोरेट कर/सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को नीचे सारणी में दर्शाया गया हैः

वित्तीय वर्ष	**कॉर्पोरेट कर संग्रहण (करोड़ रूपए में)**	**कॉर्पोरेट कर/जीडीपी (%)**
2014-15	4,28,925	3.42
2015-16	4,53,228	3.34
2016-17	4,84,924	3.16
2017-18	5,71,202	3.34
2018-19	6,63,571	3.49

टाइम सृंखला डेटा सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया है

पिछले कुछ वर्षों में कुछ अन्य देशों के जीडीपी में कॉर्पोरेट कर के अनुपात को नीचे सारणी में दर्शाया गया हैः

वित्तीय वर्ष	कॉर्पोरेट कर / जीडीपी (%)				
	फिलीपिंस	इंडोनेशिया	मलेशिया	थाइलैंड	सिंगापुर
2014-15	4.14	2.92	8.34	4.91	3.47
2015-16	4.28	2.69	6.51	4.61	3.4
2016-17	4.26	2.31	5.86	4.27	3.32
2017-18	-	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-	-

ओईसीडी स्टेटस (2017-18 और 2018-19 के लिए डाटा उपलब्ध नहीं है, अतः रिक्त है)

(ङ) एशियान देशों के कार्पोरेट कर की दरों को नीचे दर्शाया गया हैः

देश	**कर दर (%)**
फिलीपिंस	30
इण्डोनेशिया	25
म्यांमार	25
लाओस	24
मलेशिया	24
कम्बोडिया	20
थाइलैण्ड	20
वियतनाम	20
ब्रुनेई	18.5
सिंगापुर	17
ताइमोर	10
औसत	21

उपर्युक्त सारणी में एशियान देशों के कॉर्पोरेट कर के दरों की तुलना में उपर्युक्त भाग (क) में दर्शाए गए कार्पोरेट कर की दर, जोकि कम किए जाने के बाद की है, से तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में कॉर्पोरेट कर की दर अधिकांश एशियन देशों में लागू कॉर्पोरेट कर की दर से कम है।

(च) वित्त विधेयक को तैयार किए जाने के दौरान प्राप्त होने वाले प्रत्येक अनुरोध पर सरकार विचार करती है और उस पर इसकी प्रतिक्रिया को उस वित्त विधेयक में प्रकट कर दिया जाता है, जिसको कि संसद में पेश किया जाता है।

****